तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्यप्रदेश

सतपुडा भवन भोपाल – 462004

क्रमांक / एस–1 / 08 / 1110 भोपाल, दिनांक 26-9-08

प्रति,

समस्त प्राचार्य,

शासकीय / स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय /

पोलीटेकनिक / महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय

म0प्र0।

विषयः–शासी निकाय (सोसायटी) के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के वेतन आहरण एवं बावत्।

संदर्भः–संचालक तकनीकी शिक्षा को संबोधित शासन का पत्र क्रमांक / 1353 / 942 / 2007 / 42 / 1, दिनांक 26.04.07.

––00––

शासन के संदर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे, कि शासी निकाय के अंतर्गत नियुक्त समस्त कर्मचारियों के वेतन देयक कोषालय में प्रस्तुत न किये जाकर इन कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान संस्था को उपलब्ध करायी गई अनुदान की राशि से किया जावें। इन निर्देशों से समस्त संस्था प्रमुखो को अवगत करा दिया गया था। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ संस्थाओं द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

संदर्भित निर्देशों के संबंध में आपको पुनः अवगत कराया जाता है कि स्वशासी / शासी निकाय के अंतर्गत नियुक्त समस्त कर्मचारियों (प्राचार्य, शैक्षणिक पद, लिपिकीय एवं अलिपिकीय) के वेतन भत्तों का आहरण कोषालय से नहीं किया जावें। शासी निकाय के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भत्तो हेतु संचालनालय द्वारा समस्त संबंधित संस्थाओं को अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी गई है। अतः वेतन भत्तो का भुगतान अनुदान की राशि से किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावें, अन्यथा निर्देशों का पालन न किया जाना वित्तीय, अनियमितता की श्रेणी में माना जावेगा। साथ ही वित्तीय अनियमितता हेतु जिम्मेदार संस्था प्रमुख अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होगें।

(संचालक द्वारा आदेशित)

(पी. के. श्रीवास्तव)

वित्तीय सलाहकार

तकनीकी शिक्षा, संचालनालय

पृ0 क्रमांक / एस–1 / 08 / 1111 भोपाल, दिनांक 26-9-08

प्रतिलिपिः–

समस्त कोषालय / उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(पी. के. श्रीवास्तव)

वित्तीय सलाहकार

तकनीकी शिक्षा, संचालनालय